न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 61 / 2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 भैरूनाथ पुत्र विजेनाथ		1 कानीया पुत्र परतीया
2 सोहनलाल पुत्र विजेनाथ		2 कन्या बेवा बालिया
3 घीसूनाथ पुंत्र विजेनाथ		3 मु. लक्ष्मी पुत्री परतीया
4 रामनाथ पुत्र नारायणनाथ		4 मु. गजरो पुत्री परतीया
5 शिवनाथ पुत्र नारायणनाथ		5 वजाराम पुत्र खुमा
6 भंवरनाथ पुत्र नारायणलाल		6 भंवरलाल पुत्र खुमा
7 अणची बेवा नारायणनाथ		7 जमुडी पुत्री खुमा
8 सुरेश पुत्र नवलनाथ		8 डेलाराम पुत्र रामलाल
9 लक्ष्मी बेवा नवलनाथ जातिगण नाथ निवासीगण गांथी तहसील देसूरी		9 गेरकी पुत्री रामलाल जातिगण मेणा निवासीगण गांथी तहसील देसूरी जिला पाली
		10 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देसूरी जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री पवन सिंघल, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री पोकरलाल परिहार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 9
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांक : 31-1-2018

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 262 / 2015 भैरूनाथ वगैरा बनाम कानीया वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2016 के विरूद्ध पेश की, जिसे दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम गुडा आसकरण के खसरा न्म्बर 545, 547 लगायत 558 कुल खसरा 13 जिसका कुल रकबा 5.94 हैक्टेयर की भूमि राजस्व

रेकर्ड में खुमा पुत्र केना 1/2, परतीया पुत्र दला मेणा 1/2 राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त प्रविष्ठि गलत रूप से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुई है। वास्तविकता अनुसार उक्त भूमि अपीलाण्ट की है, जिस पर अपीलाण्ट आज भी काबिज काश्त है। यह भूमि खसरा नम्बर 91/1 से बने है। परतीया द्वारा उक्त भूमि में से अपने 1/2 हिस्से की भूमि अपीलाण्ट के पिता एवं दादा वेजनाथ को दिनांक 05.05.1955 को विधिवत विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया था। इसी अनुसार खुमा द्वारा भी अपने 1/2 हिस्से की भूमि दिनांक 15.06.1956 को अपीलाण्ट के पिता एवं दादा वेजनाथ को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया। इस प्रकार उक्त भूमि में परतीया एवं खुमा का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा। अपीलाण्ट को राजस्व रेकर्ड की जानकारी प्राप्त होने पर यह ज्ञात हुआ कि राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज है, अतः उक्त भूमि की खातेदारी घोषित करवाने हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया अनुसार वाद का निस्तारण नहीं कर सरसरी तौर पर वाद को खारिज यिका, जो विधि विरूद्ध है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में वर्ष 1974 में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध बेदखली का दावा प्रस्तुत किया, जिसमें वेजनाथ द्वारा प्रस्तुत वादोत्तर का कोई जवाबुल जवाब रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत नहीं किया, मात्र बेचान को फर्जी बताते हुए उक्त कार्यवाही की, जबकि जिस बेचान को फर्जी बताते हुए उसे निरस्त कराने हेतु समक्ष न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रकरण संख्या 69/74 में पारित निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो दिनांक 30.10.1980 को खारिज हुई। इसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा यह माना कि रेस्पोडेन्ट का कब्जा दावे से पूर्व का है एवं बेचाननामा एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वे खातेदार हो चुके है। इसके पश्चात वर्ष 1980 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत कार्यवाही भी अपीलाण्ट के विरूद्ध खारिज हुई। उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही अपीलाण्ट काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी नहीं दिया जाना अंकित करते हुए अपीलाण्ट का वाद खारिज किया है, जबकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है। वाद प्रस्तत होने पर जवाब, तनकीयात, साक्ष्य आदि लिए जाकर उन साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चित की जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना ही न्यायोचित प्रक्रिया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया एडोप्ट ही नहीं की। अपंजीकृत दस्तावेज की विधि मान्यता के सम्बन्ध में राजस्थान पंजीयन अधिनियम की धारा 49 एवं स्टाम्प एक्ट की धारा 55 में विस्तृत प्रावधान उपलब्ध है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जिन पर गौर किए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का वाद खारिज किया, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत खातेदार कृषक की परिभाषा में आते है, जिनका वर्ष 1955 से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है, एवं दस्तावेजीं रूप से वर्ष 1974 के पूर्व से अपीलाण्ट का कब्जा साबित होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त करावें एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर गुणावगुण पर निर्णय करने का आदेश पारित करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में ए0आई0आर0 2003 (एस.सी.) पेज 1905, डब्ल्यु0एल0एन0 2017 (3) पेज 438, डी0एन0जे0 2016 (4) पेज 1663, डी0एन0जे0 2002 (1) पेज 450 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है, क्योंकि मौके पर इनका कब्जा ही नहीं है। जिस बेचान दस्तावेज के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है, वह दस्तावेज फर्जी एवं कूटरचित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के तहत अनुसूचित जाति के खातेदार की भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं हो सकती है। इस कारण उक्त भूमि का विक्रय हो ही नहीं सकता था। जिस बेचान दस्तावेज के आधार पर यह समस्त कार्यवाहीयां सम्पादित हुई है, वह बेचान दस्तावेज अपंजीकृत है, जिसकी विधि में कोई मान्यता नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित नहीं की जा सकती है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स काबिज काश्त है एवं लगान भी जमा करवाया है। राजस्व रेकर्ड में भी रेस्पोडेन्ट्स का नाम दर्ज है, गिरदावरी भी रेस्पोडेन्ट्स के नाम से होती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधि विरूद्ध रूप से वाद प्रस्तुत करने के कारण उसमें किसी प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता ही नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का वाद खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2011 (2)पेज 1253, आर0आर0डी0 2009 पेज 693, आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 914, आर0आर0टी0 2011 (1) पेज 315, आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 721 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का सहारा लिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जो भी उज्र उठाए गए है, वे प्रभावहीन है, क्योंकि इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया है। जमाबन्दी, लगान, बेचाननामा

आदि दस्तावेजों पर किसी प्रकार का परीक्षण ही नहीं किया है। हस्तगत प्रकरण में माननीय न्यायालय को प्रमुख रूप से यह निर्णित किया जाना है कि बिना विवाद बिन्दु तय किए एवं बिना साक्ष्य लिए वाद को निर्णित किया जाना न्यायोचित है अथवा नहीं? रेस्पोडेन्ट का कथन है कि कब्जा उनका है, यदि कब्जा उनका होता तो 183 के तहत कब्जा प्राप्त करने का दावा पेश ही क्यों करते। बेचाननामा किसी भी रूप में फर्जी नहीं है, यह राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट प्रमाणित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 वर्ष 1964 से प्रभाव में आई है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 13.01.1958 से प्रभावी हुआ है। यह समस्त कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होते है। उक्त भूमि पर माफिक बेचाननामा वर्ष 1955 व 1956 के अनुसार अपीलाण्ट काबिज काश्त है। लगान की रसीदें आदि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की है। यह विधि मान्य है अथवा नहीं, इसका निर्धारण परीक्षण न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतः अपील स्वीकार करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर वादस्थ भूमि अपने पिता एवं दादा विजेनाथ द्वारा वर्ष 1955 व 1956 में खरीदसुदा होने के कारण उक्त भूमि के खातेदारी अपीलाण्ट के पक्ष में घोषित कराने एवं रेस्पोडेन्ट्स को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया। जिसमें आदेशिका दिनांक 28.04.2016 के अनुसार प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत होना एवं जवाबदावा हेतु पत्रावली दिनांक 09.05.2016 को नियत किया जाना अंकित है। इसके पश्चात पत्रावली नियत तारीख पेशी को प्रस्तुत नहीं होकर दिनांक 15.06.2016 को न्याय आपके द्वार कैम्प सुमेर में प्रस्तुत होती है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 से 9 द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत होना एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं होना अंकित है। इसके पश्चात अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर वाद पोषणीय नहीं होना अंकित करते हुए अपीलाण्ट/वादी का वाद खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि उक्त वादस्थ भूमि खुमा पुत्र केना 1/2, परतीया पुत्र दला 1/2 कौम मेणा राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। लिखत बेचान दिनांक 05.05.1955 के अनुसार परता वल्द

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दलाजी जाति मेणा द्वारा वजेनाथ पुत्र उदेनाथ के पक्ष में आकरण गुडा के खसरा नम्बर 91 रकबा 40 बीघा में से अपना 1/2 हिस्सा बएवज रूपये 3600/– में बेचान करना स्वीकार किया है, जिस पर दो व्यक्तियों के बतौर साक्ष्य हस्ताक्षर उपलब्ध है। इसी प्रकार खुमा पुत्र वेना जाति मेणा द्वारा वजेनाथ पुत्र उदेनाथ के पक्ष में दिनांक 15.06.1956 को उक्त भूमि में से अपने 1/2 हिस्से का बऐवज रूपये 3600/– में बेचान करना स्वीकार किया। उक्त दोनों की बेचान अपंजीकृत है। इसके अतिरिक्त न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा अपील संख्या 385/79 में दिनांक 30.10.1980 को निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट चुनी बेवा परता वगैरा द्वारा प्रसतुत अपील को खारिज किया है, जिसमें कब्जा रेस्पोडेन्ट विजेनाथ का माना है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथनों के समर्थन में जो न्यायिक सिद्धान्त सम्माननीय अवश्य है, किन्तु वे प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर निर्णय में सहायक सिद्ध हो सकते है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो प्रतिवादीगण से वादोत्तर प्राप्त किया एवं न ही किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया अपनाई, मात्र अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है, यह अंकित करते हुए वाद खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे पक्षकारान से जवाबदावा प्राप्त कर प्रकरण में विवाद बिन्दु कायम करते एवं उसके पश्चात दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों के परीक्षण के पश्चात साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात को विनिश्चित करते हुए विधि का विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित करतें, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया की पालना नहीं की, जिसे समर्थन दिया जा सके। हस्तगत प्रकरण में हमारा मत यह है कि अधीनस्थ न्यायालय को निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित किया जाना था, जिसमें प्रक्रिया की पूर्ण पालना यथा, जवाबदावा प्राप्त कर, उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम कर, उन पर संग्रहित साक्ष्यों एवं उन साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय करते हुए निर्णय पारित किया जाना था। इसके अतिरिक्त प्रकट हुए प्रश्नों यथा क्या प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 से प्रभावित होता है, यदि होता है, तो किस प्रकार से ? विक्रय विलेख दिनांक 05.05.1955 एवं 15.06.1956 जो कि अपंजीकृत है, उनका रजिस्ट्रीकरण अधिनयम 1908 के भाग 10 की धारा 47 से 50 किस रूप में प्रभावित करती है एवं राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1908 की धारा 55 प्रकरण को प्रभावित करती है अथवा नहीं ? इसके अतिरिक्त सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882 के तहत उक्त अन्तरण विधि मान्य होता है या नहीं ? परीक्षण न्यायालय को इन समस्त बिन्दुओं पर गौर करने के पश्चात ही अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए विधि सम्मत निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पारित किया जाना था, जो हस्तगत प्रकरण में नहीं किया गया। इस कारण हस्तगत प्रकरण में मातहत अदालत द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री समर्थन योग्य नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 262/2015 भैरूनाथ वगैरा बनाम कानीया वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के आधार पर पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 31.1.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली